

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-118-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 491]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त 2008—श्रावण 21, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2008

क्र. 5135-268-इक्कीस-अ(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 8 अगस्त, 2008 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश चादव, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २००८.

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, २००८.

विषय-सूची.

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.
2. परिभाषाएं.
3. शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति.
4. शीर्ष स्तरीय समिति के कृत्य.
5. शीर्ष स्तरीय समिति की शक्तियां.
6. राज्य स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति.
7. राज्य स्तरीय समिति के कृत्य.
8. राज्य स्तरीय समिति की शक्तियां.
9. जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति.
10. जिला स्तरीय समिति के कृत्य.
11. जिला स्तरीय समिति की शक्तियां.
12. नोडल एजेंसी.
13. राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के कृत्य.
14. जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के कृत्य.
15. संयुक्त आवेदन-पत्र.

१६. स्वप्रमाणिकरण.
१७. आवेदन की प्रक्रिया के लिये समय-सीमा.
१८. दण्ड तथा अपराध का संज्ञान.
१९. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
२०. नियम बनाने की शक्ति.
२१. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २१ सन् २००८.

मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, २००८.

[दिनांक 8 अगस्त, 2008 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक 12 अगस्त, 2008 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश राज्य में औद्योगिक तथा अन्य परियोजनाओं में नवीन निवेशों को सुगम बनाने तथा विनियामक ढांचे को सरलीकृत करने, प्रक्रियागत अपेक्षाओं को न्यून करने तथा दस्तावेजीकरण को युक्तियुक्त करने का उपबंध करने और किसी निवेशक के लिये अनुकूल परिवेश तथा उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार
और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, २००८ है.
- (२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.
- (३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "शीर्ष स्तरीय समिति" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा धारा ३ के अधीन गठित की गई शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति;
 - (ख) "समाशोधन" (क्लियरेन्सेस) से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य में औद्योगिक या वाणिज्यिक या सेवा क्षेत्र उपक्रम स्थापित करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र, आशय-पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट), आवंटन, सहमति, अनुमोदन, अनुज्ञा, रजिस्ट्रारकरण, नामांकन, अनुज्ञप्ति आदि का किसी सक्षम प्राधिकारी या विभाग द्वारा मंजूर किया जाना या जारी किया जाना और उसमें ऐसे समस्त समाशोधन सम्मिलित होंगे जो किसी उपक्रम में वाणिज्यिक सक्रियता प्रारंभ होने तक अपेक्षित हों;
 - (ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार का कोई संबंधित विभाग या प्राधिकृत अधिकरण, कोई कानूनी बोर्ड, निगम, स्थानीय प्राधिकारी, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरपालिक निगम या कोई अन्य स्थानीय निकाय जिसे समाशोधन मंजूर करने या जारी करने की शक्तियां तथा उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं;
 - (घ) "ग्राहक-अपेक्षित पैकेज (कस्टमाइज्ड पैकेज)" से अभिप्रेत है, शीर्ष स्तरीय समिति द्वारा विभिन्न स्कीमों के अधीन मध्यप्रदेश में किसी निवेशक की परियोजना के लिये उपलब्ध विद्यमान सहायता या सुविधाओं के अतिरिक्त, स्वीकृत की गई सहायता या सुविधाओं का पैकेज;
 - (ङ) "विभाग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन का कोई विभाग;
 - (च) "जिला स्तरीय समिति" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा धारा ९ के अधीन गठित की गई जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति;
 - (छ) "जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन का वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग का जिला कार्यालय;

- (ज) "उद्यमी" के अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय या कोई कम्पनी जिसका किसी औद्योगिक उपक्रम में अधिकांश निवेश या नियंत्रक हित हो;
- (झ) "औद्योगिक नीति" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा घोषित की गई कोई औद्योगिक नीति या नीतियाँ, जो औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों के संवर्धन के लिये है;
- (ञ) "औद्योगिक उपक्रम" से अभिप्रेत है, विनिर्माण या प्रसंस्करण या दोनों में संलग्न कोई उपक्रम या सेवा उपलब्ध कराने वाला या कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक गतिविधियाँ करने वाला कोई उपक्रम जैसा कि राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (ट) "औद्योगिक इकाई" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा उपक्रम जो विनिर्माण या प्रसंस्करण या ऐसे क्रियाकलापों में संलग्न है जो मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग या भारत सरकार के सुसंगत अधिनियमों तथा नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाए;
- (ठ) "निवेश" से अभिप्रेत है, किसी निवेशक द्वारा किसी उद्योग या सेवा या अयसंरचना या वाणिज्यिक परियोजना में किया गया कोई स्थिर पूंजी निवेश;
- (ड) "निवेशक" से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या संस्था जो मध्यप्रदेश राज्य में निवेश करने का प्रस्ताव करती है;
- (ढ) "मध्यप्रदेश व्यापार एवं निवेश सरलीकरण निगम लिमिटेड (टाइफेक)" से अभिप्रेत है, एकल खिड़की (समाशोधन) प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये स्थापित की गई कोई एजेंसी जिसका मुख्यालय भोपाल में हो;
- (ण) "नोडल एजेंसी" से अभिप्रेत है, धारा १२ के अधीन राज्य स्तर या जिला स्तर पर अधिसूचित कोई एजेंसी;
- (त) "परियोजना" से अभिप्रेत है, ऐसा कोई उपक्रम जो विनिर्माण या प्रसंस्करण या दोनों के लिये या राज्य में सेवा उपलब्ध कराने या कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक गतिविधि करने, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, या कोई विद्यमान इकाई उपक्रम जिसमें उसके विस्तार या परिवर्तन या आधुनिकीकरण के लिये निवेश प्रस्तावित हो;
- (थ) "एकल खिड़की (समाशोधन) प्रणाली" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई क्रियाविधि (मैकेनिज्म) या प्रणाली जिसके अर्धन आवेदन-पत्रों को प्राप्त किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, कार्यवाही की जाती है और निवेश प्रस्तावों के लिये त्वरित समाशोधन को सुकर बनाने के लिये एकल पदाभिहित एजेंसी के संरक्षता में एकीकृत रीति में अनुमोदन जारी किये जाते हैं.

३. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिका समिति का गठन करेगी जिसमें ऐसे सदस्य समाविष्ट होंगे जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए,

शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिका समिति.

(२) शीर्ष स्तरीय सभिति, ऐसी वित्तीय सीमा वाले, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, राज्य में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों और अन्य परियोजनाओं से संबंधित किसी उद्यमी से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करेगी और उन पर विचार करेगी.

(३) शीर्ष स्तरीय समिति के सदस्य उसके सम्मिलन में व्यक्तिशः उपस्थित होंगे और किसी सदस्य के उपस्थित रहने में असमर्थ होने की दशा में, वह किसी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को सम्मिलन में उपस्थित होने के लिये, सम्मिलन में समुचित निर्णय लेने के लिखित प्राधिकार सहित प्रतिनियुक्त करेगा.

शीर्ष स्तरीय समिति के कृत्य.

४. (१) शीर्ष स्तरीय समिति, प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार तथा ऐसे स्थान पर सम्मिलन करेगी तथा अपने कारबार के संव्यवहार के लिये ऐसी प्रक्रिया अपनायेगी जैसी कि वह विनिश्चित करे.

(२) शीर्ष स्तरीय समिति किसी परियोजना या औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु प्रस्तावों का, जो उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, परीक्षण करेगी और समुचित विनिश्चय करेगी, जिसमें ऐसे प्रस्तावों पर ग्राहक-अपेक्षित पैकेज (कस्टमाइज्ड पैकेज) स्विकृत किया जाना सम्मिलित है और निवेशक तथा संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को उनका मामला उसके (समिति के) समक्ष प्रस्तुत करने के लिये बुला सकेगी.

(३) शीर्ष स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति द्वारा उसे निर्दिष्ट किए गए मामलों पर भी विचार कर सकेगी और समुचित विनिश्चय कर सकेगी.

शीर्ष स्तरीय समिति की शक्तियां.

५. (१) शीर्ष स्तरीय समिति, उसके समक्ष रखी गई परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करने के लिये अंतिम प्राधिकारी होगी और उसे राज्य मंत्रिमण्डल की आर्थिक कार्यकलाप समिति के समान समस्त शक्तियां होंगी तथा शीर्ष स्तरीय समिति निवेशक द्वारा किये गये प्रस्ताव की प्रकृति तथा अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुये ऐसे प्रस्ताव पर ग्राहक-अपेक्षित पैकेज (कस्टमाइज्ड पैकेज) प्रदान किये जाने पर विचार कर सकेगी.

(२) शीर्ष स्तरीय समिति द्वारा किये गये विनिश्चय समस्त सरकारी विभागों या प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होंगे तथा ऐसे विभाग या प्राधिकारी अपेक्षित समाशोधन तथा अनुज्ञा, ठहराई गई समय-सीमा के भीतर जारी करेंगे:

परन्तु निवेशक द्वारा राज्य सरकार के या केन्द्र सरकार के प्रयोज्य अधिनियमों तथा नियमों के सुसंगत उपबंधों का पालन किया जाएगा.

राज्य स्तरीय निवेश संबंधन साधिकार समिति.

६. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य स्तरीय निवेश संबंधन साधिकार समिति का गठन करेगी जिसमें ऐसे व्यक्ति होंगे जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए.

(२) राज्य स्तरीय समिति का सदस्य उसके सम्मिलनों में व्यक्तिशः उपस्थित होगा तथा उसके उपस्थित रहने में असमर्थ होने की दशा में, वह किसी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को सम्मिलन में समुचित विनिश्चय लेने के लिये लिखित प्राधिकार सहित प्रतिनियुक्त कर सकेगा.

राज्य स्तरीय समिति के कृत्य.

७. (१) राज्य स्तरीय समिति, प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार तथा ऐसे स्थान पर, सम्मिलन करेगी तथा अपने कारबार के संव्यवहार के लिये ऐसी प्रक्रिया अपना सकेगी, जैसी कि वह विनिश्चित करे.

(२) राज्य स्तरीय समिति, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ऐसी वित्तीय सीमा के निवेश के साथ औद्योगिक उपक्रमों या परियोजनाओं की स्थापना के लिये उसके समक्ष लाये गये प्रस्तावों का विचारण तथा परीक्षण करेगी और समुचित विनिश्चय करेगी.

(३) राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति द्वारा उसे निर्दिष्ट मामलों का विचारण तथा विनिश्चय करेगी.

राज्य स्तरीय समिति की शक्तियां.

८. (१) राज्य स्तरीय समिति, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश की वित्तीय सीमा के साथ उसके समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों का समाशोधन मंजूर करने के लिये प्राधिकृत होगी.

(२) राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिये गये विनिश्चय संबंधित विभागों या प्राधिकारियों या अभिकरणों (एजेंसीज) पर बाध्यकारी होंगे तथा ऐसे विभाग या प्राधिकारी, राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित अपेक्षित समाशोधन, ठहराई गई समय-सीमा के भीतर जारी करेंगे:

परन्तु निवेशक, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के उस समय प्रयोज्य सुसंगत अधिनियमों के उपबंधों तथा नियमों का अनुपालन करेगा.

(३) राज्य स्तरीय समिति, समुचित मामलों में विचारण के लिये, उसकी अधिकारिता से अधिक निवेश के प्रस्तावों को शीर्ष स्तरीय समिति को निर्दिष्ट कर सकेगी.

९. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, एक जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति का गठन करेगी, जिसमें ऐसे सदस्य समाविष्ट होंगे जो उसमें विनिर्दिष्ट किये जाएं.

जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति.

(२) जिला स्तरीय समिति का सदस्य व्यक्तिशः उपस्थित होगा तथा उसके सम्मिलन में उपस्थित रहने में असमर्थ होने की दशा में, वह किसी वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को सम्मिलन में समुचित विनिश्चय लेने के लिये लिखित प्राधिकार सहित प्रतिनियुक्त कर सकेगा.

१०. (१) जिला स्तरीय समिति, ऐसे समय तथा ऐसे स्थान में सम्मिलन करेगी तथा उसके कारबार के संयवहार के लिये ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाएगी जैसी कि विहित की जाए.

जिला स्तरीय समिति के कृत्य.

(२) जिला स्तरीय समिति, ऐसी वित्तीय सीमा तक, जैसी कि संबंधित जिले के भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के निवेश के साथ किसी परियोजना या औद्योगिक इकाई की स्थापना करने के लिये उसके समक्ष लाए गए प्रस्तावों पर विचार करेगी और उनका परीक्षण करेगी तथा समुचित विनिश्चय करेगी जिसे कि निवेशकों एवं विभागों या संबंधित प्राधिकारियों को संसूचित किया जायेगा.

(३) मध्यप्रदेश सरकार के वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार विभाग के अधीन संबंधित जिला व्यापार तथा उद्योग केन्द्र सचिवालय के रूप में तथा जिला स्तरीय समिति के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कृत्य करेंगे.

११. (१) जिला स्तरीय समिति, समाशोधन (क्लियरेंस) प्रदान करने और तदनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित वित्तीय सीमा तक के निवेश प्रस्तावों के अनुमोदन के लिये प्राधिकृत होगी.

जिला स्तरीय समिति की शक्तियां.

(२) जिला स्तरीय समिति द्वारा किये गये विनिश्चय जिला स्तर के संबंधित विभागों या प्राधिकारियों पर बाध्यकर होंगे और ऐसे विभाग या प्राधिकारी, प्रयोज्य केन्द्रीय या राज्य अधिनियमों और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के निवेशकों द्वारा अनुपालन के अध्वधीन रहते हुए ठहराई गई समय-सीमा के भीतर अपेक्षित समाशोधन जारी करेंगे.

१२. शीर्ष स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति को समुचित कृत्य तथा कार्यकरण के लिए, राज्य सरकार, आदेश द्वारा; नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक समिति के सामने दर्शायी गई एजेंसी को या किसी अन्य एजेंसी को संबंधित समिति के संबंध में नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त कर सकेगी:-

नोडल एजेंसी.

सारणी

समिति	नोडल एजेंसी
शीर्ष स्तरीय समिति	मध्यप्रदेश व्यापार और निवेश सरलीकरण निगम लिमिटेड, भोपाल.
राज्य स्तरीय समिति	-तदैव-
जिला स्तरीय समिति	संबंधित जिले का जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र.

राज्य स्तरीय नोडल
एजेंसी के कृत्य

१३. नोडल एजेंसी, राज्य स्तर पर—

- (एक) निवेशकों को सहायता का विस्तार करते हुये निवेश संवर्धन गतिविधियों का क्रियान्वयन करेगी;
- (दो) शीर्ष-और राज्य स्तरीय समिति के लिये सचिवालय के रूप में कृत्य करेगी;
- (तीन) परियोजनाओं या औद्योगिक उपक्रमों को स्थापित करने के लिये अपेक्षित मंजूरी या अनुमोदन प्राप्त करने के लिये संबंधित विभागों के साथ समन्वय और अनुवर्तन करेगी;
- (चार) नियमों और प्रक्रियाओं तथा आवेदन-पत्र आदि के संबंध में जानकारी तैयार करेगी और उनको उद्यमियों को उपलब्ध करायेगी;
- (पांच) निवेशकों या उद्यमियों से संयुक्त आवेदन-पत्र प्राप्त करेगी और टहराई गई समय-सीमा के भीतर समाशोधन (क्लियरेंस) या अनुमोदन के लिये संबंधित विभागों या एजेंसियों को उसे अपेक्षित करेगी.

जिला स्तरीय नोडल
एजेंसी के कृत्य

१४. जिला स्तरीय नोडल एजेंसी के कृत्य निम्नानुसार होंगे :—

- (एक) जिले में निवेश संवर्धन गतिविधियों को क्रियान्वित करना;
- (दो) उद्यमियों को निवेश में और जिले में उनकी परियोजनाओं या उद्योगों को स्थापित करने में मार्गदर्शन देना और सहायता करना;
- (तीन) उद्यमियों को विभिन्न समाशोधन (क्लियरेंस) की अपेक्षा वाले आवेदन-पत्र जारी करना और उनसे भरे हुए प्ररूप प्राप्त करना और विभागों तथा प्राधिकारियों से टहराये गये समय के भीतर अपेक्षित समाशोधन (क्लियरेंस) को सुगम बनाना;
- (चार) जिला स्तरीय समिति में सचिवालयीन सेवा की अभिवृद्धि करना.

संयुक्त आवेदन-पत्र

१५. राज्य सरकार, उन उद्यमियों के उपयोग के लिये, जिनको परियोजनाएं शीर्ष स्तरीय या राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत की जानी है, राज्य सरकार के प्रयोज्य अधिनियमों या नियमों के अधीन विहित किये गए विद्यमान प्ररूप के स्थान पर संयुक्त आवेदन-पत्र विहित कर सकेगी और केन्द्र सरकार के अधिनियमों या नियमों के अधीन आवेदन पत्र, उसी रूप में संयुक्त आवेदन-पत्र में समायोजित किये जा सकेंगे तथा संयुक्त आवेदन-पत्र राज्य सरकार के विभागों या उसके समस्त अधिकरणों या केन्द्र सरकार के अधिकरणों से अपेक्षित आवश्यक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के लिये जारी किये जायेंगे और राज्य सरकार के समस्त विभाग या संबंधित प्राधिकारी, अपेक्षित समाशोधन (क्लियरेंस) को प्रक्रिया में लेने के लिये तथा अपेक्षित समाशोधन जारी करने के लिये स्वीकार करेंगे.

स्वप्रमाणीकरण

१६. (१) प्रत्येक निवेशक या उद्यमी, सम्यक् रूप से पूर्ण किया गया संयुक्त आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय, "स्वप्रमाणीकरण" प्रस्तुत करेगा और उसके पश्चात्, वर्ष में एक बार नोडल एजेंसी को यह बताने देगा कि वह सुसंगत अधिनियमों के लागू होने वाले उपबंधों और उनके अधीन बनाये गये नियमों का पालन करेगा और वचनबंध ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जाए.

(२) उद्यमी द्वारा प्रस्तुत किया गया स्वप्रमाणीकरण, उद्यमी को समाशोधन (क्लियरेंस) जारी करने तथा प्रदान करने और उद्यमी को अन्य लाभ देने के प्रयोजन के लिये विभागों तथा प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जायेगा.

आवेदन की प्रक्रिया
के लिये समय-सीमा

१७. वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग में, राज्य सरकार, संबंधित विभाग के परामर्श से, समाशोधन या अनुमोदन या अनुज्ञा आदि के संबंध में आवेदनों की प्रक्रिया और निपटारे के लिये समय-सीमा विहित कर सकेगी.

१८. (१) कोई उद्यमी, जो नोडल एजेंसी या अन्य विभाग या प्राधिकारी को दिए गए स्वप्रमाणीकरण में दी गई शर्तों या विवचनबंध का पालन करने में असफल रहता है, वह दोषसिद्धि पर, प्रथम अपराध के लिये ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और द्वितीय या परचातृती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

दण्ड और अपराध का संज्ञान।

(२) कोई न्यायालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, उपधारा (१) के अधीन किये गये किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

१९. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अनार्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अंतर्गत सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये, शीर्ष स्तरीय, राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय समिति के सभापति (चेयरपर्सन) या अन्य सदस्यों या ऐसी समिति या नोडल एजेंसी के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या दाण्डिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

२०. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, पूर्व प्रकाशन के अध्वधोन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाये जाने के परचातृ, यथाशक्य शीघ्र, सच के चालू रहने के दौरान राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

२१. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, कठिनाई दूर कर सकेगी।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2008

क्र. 5136-268-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21, सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, उपसचिव,

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 OF 2008.

THE MADHYA PRADESH INVESTMENT FACILITATION ACT, 2008.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.
3. Apex Level Investment Promotion Empowered Committee.
4. Functions of Apex Level Committee.
5. Powers of Apex Level Committee.
6. State Level Investment Promotion Empowered Committee.
7. Functions of State Level Committee.
8. Powers of State Level Committee.
9. District Level Investment Promotion Empowered Committee.
10. Functions of District Level Committee.
11. Powers of District Level Committee.
12. Nodal Agencies.
13. Functions of State Level Nodal Agency.
14. Functions of District Level Nodal Agency.
15. Combined Application Form.

16. Self Certification.
17. Time limit for processing of application.
18. Penalty and cognizance of offence.
19. Protection of action taken in good faith.
20. Power to make rules.
21. Power to remove difficulties.

MADHYA PRADESH ACT

No. 21 OF 2008.

THE MADHYA PRADESH INVESTMENT FACILITATION ACT, 2008.

[Received the assent of the Governor on the 8th August, 2008; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th August, 2008.]

An Act to provide for the facilitation of new investments in industrial and other projects by simplifying the regulatory framework, reducing procedural requirements and rationalising documentation and to provide for friendly environment to an investor in the State of Madhya Pradesh and matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-ninth year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008.
- (2) It extends to whole of the Madhya Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Apex Level Committee" means a Apex Level Investment Promotion Empowered Committee constituted by the State Government under Section 3;
 - (b) "Clearances" means grant or issue of no-objection certificate, letter of intent, allotments consents, approvals, permissions, registrations, enrollments, licenses and the like by any competent authority or department, in connection with the setting up of an industrial or commercial or service sector undertaking in the State of Madhya Pradesh and shall include all such clearances required till the undertaking commences commercial operation;
 - (c) "Competent authority" means any concerned department or authorised agency of the State Government, any statutory board, Corporation, local authority, Gram Panchayat, Municipality, Municipal Corporation or other local body which are entrusted with the powers and responsibilities to grant or issue clearances;
 - (d) "Customized package" means package of assistance or facilities sanctioned by the Apex Level Committee for the project of an investor in addition to the existing assistance or facilities available in Madhya Pradesh under various schemes;
 - (e) "Department" means any department of the Government of Madhya Pradesh;
 - (f) "District Level Committee" means the District Level Investment Promotion Empowered Committee constituted by the State Government under Section 9;
 - (g) "District Trade and Industries Centre" means the district office of the Department of Commerce, Industry and Employment of the Government of Madhya Pradesh;
 - (h) "Entrepreneur" means a person or body of persons or a company having majority investment or controlling interest in an industrial undertaking;

- (i) "Industrial policy" means the industrial policy or policies declared by the Government of Madhya Pradesh or by the Government of India, as the case may be, for promotion of industrial, commercial and other related activities;
- (j) "Industrial undertaking" means an undertaking engaged in manufacturing or processing or both or providing service or doing any other business or commercial activities as may be specified by the State Government or the Central Government;
- (k) "Industrial unit" means an undertaking which is engaged in manufacturing or processing or such activities which may be registered under relevant Acts and rules of the Department of Commerce, Industry and Employment of the Government of Madhya Pradesh or Government of India;
- (l) "Investment" means fixed capital investment by an investor in industry or service or infrastructure or commercial project;
- (m) "Investor" means a person, firm, company or institution who proposes to invest in the State of Madhya Pradesh;
- (n) "Madhya Pradesh Trade and Investment Facilitation Corporation Limited (TRIFAC)" means the agency established for effective implementation of Single Window (Clearance) System, having headquarter at Bhopal;
- (o) "Nodal Agency" means the agency notified at the State level or at the District Level under Section 12;
- (p) "Project" means an undertaking with proposed investment for manufacturing or processing or both or providing service or doing any other business or commercial activity in the State as may be specified by the State Government or an existing unit undertaking its expansion or diversification or modernization;
- (q) "Single Window (Clearance) System" means a mechanism or system established by the State Government, under which applications are received, examined, processed and approvals are issued in a unified manner from and through the aegis of a single designated agency to facilitate speedy clearances for investment proposals.

3. (1) The State Government may, by notification, constitute an Apex Level Investment Promotion Empowered Committee consisting of such members as may be specified therein.

Apex Level Investment Promotion Empowered Committee.

(2) The Apex Level Committee shall examine and consider the proposals received from any entrepreneur relating to industrial and other projects to be set up in the State having such financial limit as may be notified by the State Government from time to time.

(3) The members of the Apex Level Committee shall personally attend its meeting and in case a member is unable to attend, he shall depute a Senior Level Officer to attend the meeting with a written authorisation to take appropriate decisions in the meeting.

4. (1) The Apex Level Committee shall meet at least once in every two months and at such place and shall adopt such procedure to transact its business as it may decide.

Functions of Apex Level Committee.

(2) The Apex Level Committee shall examine the proposals for the setting up of any project or industrial undertaking, which are submitted before it and shall take appropriate decisions, including sanction of customized packages on such proposals and may call the investor and concerned departments or authorities to present their case before it.

(3) The Apex Level Committee may also consider matters referred to it by the State Level Committee and take appropriate decisions.

Powers of the Apex Level Committee.

5. (1) The Apex Level Committee shall be the final authority in granting approvals for the projects placed before it and shall have all the powers at par with the Economic Affairs Committee of the State Cabinet and Apex Level Committee may consider granting a customized package on a proposal, keeping in view the nature and requirements of the proposal made by an investor.

(2) Decisions taken by the Apex Level Committee shall be binding on all Government Departments or authorities and such departments or authorities shall issue requisite clearances and permissions within the stipulated time limit :

Provided that the relevant provisions of the applicable Acts and Rules of the State Government or Central Government are complied with by the investor.

State Level Investment Promotion Empowered Committee.

6. (1) The State Government may, by notification, constitute a State Level Investment Promotion Empowered Committee consisting of such persons as may be specified therein.

(2) A member of the State Level Committee shall personally attend its meeting and in case he is unable to attend, he may depute a Senior Level Officer with a written authorisation to take appropriate decision in the meeting.

Functions of State Level Committee.

7. (1) The State Level Committee shall meet at least once in every two months and at such place and adopt such procedure to transact its business as it may decide.

(2) The State Level Committee shall consider and examine the proposals brought before it for the setting up of industrial undertakings or projects with investment of such financial limit as may be notified by the State Government from time to time and shall take appropriate decisions.

(3) The State Level Committee shall consider and decide the matters referred to it by the District Level Committee.

Powers of the State Level Committee.

8. (1) The State Level Committee shall be authorised to grant clearances to the proposals submitted before it with investment of financial limits notified by the State Government.

(2) The decisions taken by the State Level Committee shall be binding on the concerned departments or authorities or agencies and such departments or authorities shall issue the required clearances as approved by the State Level Committee within the stipulated time limit :

Provided that the investor has complied with the provisions of the relevant Acts and Rules of the State Government or the Central Government applicable at that time.

(3) The State Level Committee may refer the proposals of investment exceeding its jurisdiction to the Apex Level Committee for consideration in appropriate cases.

District Level Investment Promotion Empowered Committee.

9. (1) The State Government may, by notification, constitute a District Level Investment Promotion Empowered Committee consisting of such members as may be specified therein.

(2) A member of the District Level Committee shall attend, personally and in case he is unable to attend the meeting, he may depute a Senior Level Officer with written authorisation to take appropriate decision in the meeting.

Functions of the District Level Committee.

10. (1) The District Level Committee shall meet at such time and such place and shall adopt such procedures to transact its business as may be prescribed.

(2) The District Level Committee shall consider and examine the proposals brought before it for the setting up of any project or industrial unit with investment of such financial limits as may be notified by the State Government within the concerned district and shall take appropriate decisions, which shall be communicated to the investors and the departments or authorities concerned.

(3) The concerned District Trade and Industry Centre under the Department of Commerce, Industry and Employment, Government of Madhya Pradesh shall function as the Secretariat and Nodal Agency for the District Level Committee.

11. (1) The District Level Committee shall be authorised for granting clearances and according approvals for the investment proposals up to the financial limits notified by the State Government.

Powers of the District Level Committee.

(2) The decisions taken by the District Level Committee shall be binding on the departments or authorities concerned at the district level and such departments or authorities shall issue the required clearances within the stipulated time limit, subject to compliance by investors of the provisions of the applicable Central or State Acts and the rules thereunder.

12. For the proper functioning and working of the Apex Level Committee, State Level Committee and District Level Committee, the State-Government may, by order, appoint the agency shown against each committee in the Table below or any other agency as the Nodal Agency in respect of the committee concerned:—

Nodal Agencies.

TABLE

Committee	Nodal Agency
Apex Level Committee	Madhya Pradesh Trade and Investment Facilitation Corporation Ltd., Bhopal.
State Level Committee	—do—
District Level Committee	District Trade and Industry Centre of the concerned District.

13. The Nodal Agency at the State level shall,—

- (i) carry out investment facilitation activities by extending assistance to investors;
- (ii) function as the Secretariat for the Apex and State Level Committee;
- (iii) co-ordinate and follow up with the concerned departments for obtaining the sanction or approvals required for the setting up of the projects or industrial undertakings;
- (iv) prepare information regarding rules and procedures and application forms etc. and make them available to the entrepreneurs;
- (v) receive from investors or entrepreneurs the combined application forms and forward the same to the concerned departments or agencies for getting clearances or approvals in the stipulated time limit.

Functions of State Level Nodal Agency.

14. The functions of the District Level Nodal Agency shall be as follows :—

- (i) to carry out investment promotional activities in the district;
- (ii) to guide and assist entrepreneurs in investment and in setting up their projects or industrial units in the district;
- (iii) to issue application forms meant for various clearances to the entrepreneurs and also to receive the filled up forms from them and to facilitate required clearances from the departments and authorities within the stipulated time;
- (iv) to promote Secretarial service to the District Level Committee.

Functions of the District Level Nodal Agency.

Combined Application Form.

15. The State Government may prescribe combined application form for the use of entrepreneurs whose projects are to be submitted to the Apex Level or State Level or District Level Committee, in lieu of the existing forms prescribed under applicable Acts or rules of the State Government and the application forms under Central Governments Acts or rules may be incorporated as such in the combined application form and the combined application form shall be issued for obtaining necessary approvals required from the State Government Departments or all its agencies or agencies of the Central Government and all the departments or authorities concerned of the State Government shall accept such combined application form for processing and issue of required clearances.

Self Certification.

16. (1) Every investor or entrepreneur shall furnish "Self Certification" at the time of submitting the duly completed combined application form and thereafter once in a year to the Nodal Agency undertaking that he shall comply with the applicable provisions of relevant Acts and rules made thereunder and the undertaking shall be furnished in such form as may be prescribed.

(2) The self certification furnished by the entrepreneur shall be accepted by the departments and authorities for the purpose of issuing and granting clearances and giving other benefits to the entrepreneurs.

Time limit for processing of application.

17. The State Government in the Department of Commerce, Industry and Employment, in consultation with the concerned department, may prescribe time limit for processing and disposal of application in respect of clearances or approvals or permissions etc.

Penalty and cognizance of offence.

18. (1) Any entrepreneur, who fails to comply with the conditions or, or the undertaking in the self certification given to the Nodal Agency or the other department or authorities, shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to five thousand rupees for the first offence and for the second or subsequent offence with fine which may extend to ten thousand rupees.

(2) No Court shall take cognizance of any offence under sub-section (1) except with the previous sanction of the State Government.

Protection of action taken in good faith.

19. Notwithstanding any thing contained in any law for the time being in force, no suit or Criminal proceedings shall lie against the Chairperson or other members of Apex Level or State Level or District Level Committee or any employee of such committee or Nodal Agency, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

Power to make rules.

20. (1) The State Government may, by notification, subject to previous publication, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature while it is in Session.

Power to remove difficulties.

21. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty.